उपायुक्त का कार्यालय (समाज कल्याण शाखा), धनबाद ।

—: अतिअल्पकालीन निविदा :—

वित्तीय वर्ष 2017—18 में धनबाद जिलान्तर्गत 08 बाल विकास परियोजनाओं के किशोरी शक्ति योजना एवं महिला क्षमता विकास प्रशिक्षण/कार्यक्रम के संचालन हेतु किटस क्रय —

—करने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग—अलग एक मोहरबंद लिफाफे में दिनांक— 09/02/18 को 12:00 बजे अपराह्न तक जिला समाज कल्याण शाखा, धनबाद में जमा कर सकते है । निविदा दिनांक— 09/02/18 को 3-00 बजे अपराह्न में प्राधिकृत क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी ।

क्रमांक	सामग्री का नाम	मात्रा	क्रमांक	सामग्री का नाम	मात्रा
1.	किशोरवस्था, एवं किशोरी शक्ति कार्ड से संबंधित पत्रिका	1 अदद	10.	पट्टी	1 अदद
2.	स्वच्छता संबंधी चार्ट	2 अदद	11.	गेरू चूना	1 पैकेट
3.	साबुन	1 अदद	12.	रंगीन कपड़ा	1 मीटर
4.	नेल कटर	1 अदद	13.	सुई पैकेट	1 अदद
5.	आईना	1 अदद	14.	रंगीन धागा	4 अदद
6.	जूँ वाली कंघी	1 अदद	15.	फ्रेम	1 अदद
7.	सामान्य कंघी	1 अदद	16.	ऊन	2 गोला
8.	डीटॉल	1 अदद	17.	बुनाई कांटा	2 जोड़ा
9.	रूई	1 अदद	18.	स्किपिंग रोप	1 अदद

निविदा हेतु नियम व शर्ते :—

1. उपरोक्त सभी सामग्रियॉ को एक पैकेट/कार्टून में पैक कर उपस्थापित करना होगा। निविदा एवं दर का निर्धारण उक्त पैकेट के आधार पर हीं स्वीकार की जायेगी।
2. तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग—अलग लिफाफे को एक मोहरबंद कर एक अलग लिफाफा में मोहरबंद कर देना होगा ।

तकनिकी वीड के अन्दर :—

1. (i) अग्रधन के रुप में 10,000/— (दस हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, धनबाद के पदनाम से देना होगा जो बाद में वापस कर दिया जाएगा । (ii) अद्यतन आयकर रिटर्न (iii) जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र एवं पंजीकरण, (iv) पैन कार्ड काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र ।

वित्तीय वीड के अन्दर :—

1. (i) वित्तीय निविदा अलग लिफाफे में रहेगा जिसमें सामग्रियों की गुणवत्ता, विशिष्टता एवं दर का रहना अनिवार्य है ।

अन्य शर्तें :—

1. निविदा में अंकित सामग्रियों का दर सभी कर सहित होगा ।
3. निविदा में निविदादाता को सामग्रियों का एक ही दर अंकित करना होगा । एवं एक ही नमूना जिला क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । एक से ज्यादा दर एवं नमूना मान्य नहीं होगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
4. आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों का नमूना जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा ।
5. सामग्रियों की आपूर्त्ति जिले के विभिन्न बाल विकास परियोजना कार्यालय में की जायेगी, जिसके लिए अलग से कोई परिवहन व्यय अथवा हथालन व्यय देय नहीं होगा ।
6. किसी भी निविदा को आंशिक या पूर्ण रुप से स्वीकार या सरकारी अनुदेश के आलोक में या प्रशासनिक दृष्टिकोण से रद्द करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित होगा।
7. इच्छुक निविदादाता www.dhanbad.nic.in से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।

30/01/18

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी
धनबाद।